

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266697
SG-DL-E-06102025-266697असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 266
No. 302]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947	[N. C. T. D. No. 266

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2025

सं.फा.23 / 19 / प्रोरो. / 2025 / विसस-VIII / विधायी / 12414.—माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“आदेश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा-6 की उप-धारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आठवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

(विनय कुमार सक्सेना)
उपराज्यपाल, दिल्ली
रंजीत सिंह, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NOTIFICATION

Delhi, the 3rd October, 2025

No.F. 23/19/Proro/2025/LAS-VIII/Legn/12414.—The following order of the Hon’ble Lieutenant Governor, Delhi dated 01 October, 2025 is hereby published for general information: -

“ORDER

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of section 6 of The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No.1 of 1992), I, hereby prorogue the Third Session of the Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect.

(VINAI KUMAR SAXENA)

Lieutenant Governor, Delhi”

RANJEET SINGH, Secy.